UPLK010197682023

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।</u>

<u>सेशन्स केस सं0 3372/2023</u>

सरकार **बनाम** राहुल वर्मा आदि

अ0सं0 569/2023
धारा–376डी,506 भा0द0सं0
धारा 3(2)V एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
थाना–पी0जी0आई0, लखनऊ।

<u>05–12–2023</u>

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्तगण राहुल वर्मा व करन सिहं जेरे हिरासत न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्तगण के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 376डी, 506 भा0द0सं0 तथा धारा 3(2)V एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 19–12–2023 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010197682023

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

सेशन्स केस सं0 3372/2023

सरकार **बनाम** राहुल वर्मा आदि

अ0सं0 569/2023

धारा–376डी,506 भा0द0सं0

धारा 3(2)v एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,

थाना–पी0जी0आई0, लखनऊ।

आरोप

मैं, दिनेश कुमार मिश्र, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्तगण राहुल वर्मा व करन सिह को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँ:–

प्रथमः यह कि दिनांक 08.09.202 व समय करीब 03.30 बजे पर थाना पी0जी0आई0 जिला लखनऊ सीमान्तर्गत म0नं0 500झ/83 रवीन्द्र नगर में आप अभियुक्तगण राहुल वर्मा व करन सिंह द्वारा वादिनी मुकदमा नैना रावत के साथ ऐसे ज्ञान व परिस्थितियों में सामूहिक बालात्कार का कृत्य किया एवं आप ने ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376डी के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्तगण राहुल वर्मा व करन सिंह द्वारा वादिनी मुकदमा नैना रावत को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर वादिनी मुकदमा नैना रावत रावत (जो अनुसूचित जाति की सदस्या है) से आप अभियुक्तगण करन सिंह द्वारा ऐसे ज्ञान व परिस्थितियों में सामूहिक बालात्कार का कृत्य किया। जो भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दस वर्ष की अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार आपने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम धारा–3(2)(V) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप लोगों का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(दिनेश कुमार मिश्र)

दिनांकः 05–12–2023 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,

लखनऊ।

J.O. Code UP6085

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्तगण ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(दिनेश कुमार मिश्र)

दिनांकः 05–12–2023 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,

लखनऊ।

J.O. Code UP6085

Digitally signed by DINESH KUMAR MISHRA
Date: 2023.12.05 15:41:57 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court